न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नंबर 2021/372

1. श्रीमति सीतादेवी पत्नि श्री ताराचन्द मीणा, जति मीणा, निवासी मकान नम्बर वी–22, गलता गेट, हीदा की मोरी के बाहर, सोतारामपुरी, जयपुर ।

–अपीलाण्ट

1. महेश मीणा पुत्र श्री रामगोपाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम दयारामपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर

रेस्पोडेण्ट

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. रामफूल पुत्र श्री बाबूलाल, जाति मीना, निवासी विनायक कॉलेज के पीछे, ध्यावणा नगर, पालडी मीना, आगरा रोड, तहसील व जिला जयपुर।
4. भूराराम पुत्र श्री मोहनराम, जाति मीना, निवासी प्रताप नगर, जयपुर, जयपुर जिला जयपुर।
5. आनन्द सहाय पुत्र श्री कल्याणसहाय, जाति मीना, निवासी जगतपुरा रोड,जयपुर जिला जयपुर।
6. सीतादेवी पत्नि स्व० श्री अशोक
7. अन्नु पुत्री स्व० श्री कमलेश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता स्वयं श्रीमति सीतादेवी पत्नि स्व० कमलेश।
8. आराध्या पुत्री स्व० कमलेश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता स्वयं श्रीमति सीतादेवी पत्नि स्व० कमलेश।
9. गोपाल पुत्र श्री रामनारायण।
10. हनुमानसहाय पुत्र श्री रामेश्वर।
11. श्रीमति बदामी देवी पत्नि स्व० श्री रामेश्वरसमस्त जाति मीना, निवासीयान मन्दिर के पास, ग्राम हीरावाला, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–रेस्पोडेण्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट0 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.10.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी जिला जयपुर अन्तर्गत मि० सं० 25/2021 उनवानी महेश बनाम सरकार व अन्य

उपस्थित–

1. श्री ताराचन्द मीणा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री प्रवीण कुमार शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 18.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 18.10.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुरके समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 293/121 रकबा 0.2529 के सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2021के अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा आवेदन स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी मुताबिक धारा 111 के प्रावधानो के अनुसार टीम गठित करपत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 18.10.2021 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 18.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमति सीतादेवी पत्नि श्री ताराचन्द मीणा द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 18.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किअधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा दिनांक 13.07.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल. आर एक्ट पेश किया जाता है जिस पर कार्यालय रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पेश होने से एक दिन पहले ही दिनांक 12.07.2021 को होकर पक्षकारान के नोटिस जारी किये जाने के आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली पेश हुये ही जारी कर दिये जाते है उसकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अंकित दिनांक 13.07.2021 एवं शपथ पत्र पर शपथ आयुक्त द्वारा दिनांक 13.072021 को किये हस्ताक्षर से साबित है। रेस्पोडेण्ट राख्या एक ने स्वयं ने न्यायालय तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत् बेदखल किये जाने उनवानी महेश मीना बनाम सीतादेवी प्रार्थना पत्र संख्या 2/2021 प्रस्तुत कर रखा है जिसमें रेस्पोडेण्ट सख्या एक ने यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत् बेदखली स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 293/121 रकबा 0.2529 हैक्टेयर वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर से बेदखल किया जावें। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से रेस्पोडेण्ट संख्या दो के यहां बेदखली के प्रार्थना पत्र के विचाराधीन पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था, लेकिन उसके बावजूद रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अधिनस्थ न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया। राजस्व कैम्प में प्रकरणों का निस्तारण उभय पक्षों की सहमति से ही किया जाना चाहिए। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति लिये बिना एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर निर्णय दिनांक 18.10.2021 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी को हैरान–परेशान करने की नियत से असत्य, मिथ्या बनावटी तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की प्रारम्भ से ही बखूबी जानकारी रही है। अपीलार्थी द्वारा केवल पत्थरगढी को रोकने के उद्देश्य की पूर्ति मात्र के लिये उक्त मियाद बाहर अपील फौरे तथ्यों पर संतोषप्रद कारण के अभाव में एवं देरी ना के सम्बंध में कोई सम्यक युक्ति युक्त कारण दर्शित किये बिना ही अपील पेश की है। अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय द्वारा सभी पडोसी खातेदारान को पूर्णत साक्ष्य समर्थन वास्ते नोटिस जारी किये गये थे लेकिन अपीलार्थी द्वारा उपस्थित नहीं होने की दशा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश से अन्य किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत् उक्त खसरा नम्बर पर पडौसी खातेदारान् को सूचित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर पत्थरगढी की कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्थरगढी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 30.11.2021 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तारीख 13.07.2021 अंकित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की ऑडरशीट मे प्रार्थना पत्र पेश करने व नोटिस जारी करने की तारीख 12.07.2021 अंकित है तथा उसके बाद की ऑर्डरशीट दिनांक 29.07.2021, 17.08.2021 एवं 04.10.2021 पर पीठासीन अधिकारी/रीडर के हस्ताक्षर भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 को पारित किया है जबकि पत्थरगढी के संबंध में तहसीलदार बस्सी का जवाब अपीलाधीन आदेश के लगभग एक माह बाद दिनांक 09.11.2021 को पेश हुआ है। पत्रावली में संलग्न नोटिस के अवलोकन करने पर नोटिस की तामिल भी प्रोपर नहीं हुई है जो कि अपीलाधीन आदेश के पैरा संख्या 3 में भी स्पष्ट रूप से अंकित है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 खारिज किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 293/121 में गोदाम/फैक्ट्री बनाकर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में खसरा नं. 293/121 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–177 के तहत् कार्यवाही किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर निर्णय दिनांक 18.10.2021 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नं. 293/121 में गोदाम/फैक्ट्री बनाकर अकृषि उपयोग किये जाने के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–177 की कार्यवाही कर राजहित में निहित करने हेतु सक्षम न्यायालय को प्रकरण भिजवाया जाकर इस न्यायालय को अवगत करावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ आरूषी मलिक)
सभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सभागीय आयुक्त,
जयपुर